



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 14.11.2023

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस व पीआरवी-3655 के कर्मचारियों द्वारा भैंस चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई भैंस

बरामद:-

ज्ञात हो दिनांक 14.11.2023 की रात्री में 12.30 बजे वादी श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र छोटाराम निवासी मौहल्ला दयानन्दनगर थाना कोतवाली जनपद शामली की भैंस को दयानन्दनगर स्थित घर से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 546/23 धारा 380, 411 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 14.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग तथा वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस व पीआरवी-3655 के कर्मचारियों द्वारा 01 भैंस चोर को चोरी की हुई भैंस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

सचिन पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की गई 01 भैंस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थाना कोतवाली शामली पुलिस मय टीम
2. कां0 कुशलपाल पीआरवी-3655 डायल 112 जनपद शामली।
3. हो0गा0 ट्विंकल कुमार पीआरवी-3655 डायल 112 जनपद शामली।



थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 37 किलो ग्राम डोडा पोस्त (कीमत करीब 02 लाख 10 हजार रुपए) एवं तस्करी में प्रयुक्त बुलेरो गाड़ी बरामद:-

आज दिनांक 14.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये गये अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन व अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 डोडा तस्करों को अवैध 37 किलो ग्राम डोडा पोस्त एवं तस्करी में प्रयुक्त बुलेरो गाड़ी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि बरामद डोडा पोस्त को बदायूं (उ0प्र0) से सस्ते दाम पर गाड़ी में छुपाकर लाते थे तथा हरियाणा राज्य के करनाल जिले में ट्रांसपोर्ट में ट्रक वालों को बेचकर मुनाफा कमाते हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. सतपाल पुत्र बाबूराम निवासी मंगलौरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. अर्जुन पुत्र राम जुआरी निवासी उडाना थाना इन्द्री जनपद करनाल (हरियाणा)।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सतपाल उपरोक्त:-

मु0अ0सं0 888/2016 धारा 307/323/324/504/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध डोडा पोस्त 37 किलो ग्राम (कीमत करीब 02 लाख 10 हजार रुपए)
2. तस्करी में प्रयुक्त एक बुलेरो गाड़ी रजि0 नं0 HRO5AH 9854

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुदेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र पूनिया थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 नितिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. का0 अजीत कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

नोट:- पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 15000/- रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत दुकानों से हुई चोरी घटनाओं का सफल अनावरण कर 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, लैपटॉप व मोबाइल बरामद:-

ज्ञात हो दिनांक 10.11.2023 को वादीगण श्री विजीत पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम म्यान कस्बा बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली की RTO ONLINE TAX की दुकान से लैपटॉप व मोबाइल को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेना तथा सुन्दर पुत्र भोपाल निवासी ग्राम म्यान कस्बा बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली की दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल हीरो HF DELUXE नं0 UP19F9325 को अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन कर थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज आदि से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये।

इसी क्रम में आज दिनांक 14.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत दुकानों से हुई चोरी घटनाओं का सफल अनावरण कर 01 चोर को चोरी की 01 मोटरसाइकिल, 01 लैपटॉप व 01 मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

हरदीप सिंह उर्फ दीपू पुत्र गुरदेव सिंह निवासी म0नं-1975, गली नं0-6 गुरुपाल नगर थाना डाबा लुधियाना पंजाब।

बरामदगी का विवरण:-

1.चोरी किया हुआ सामान- 01 मो0सा0 हीरो एचएफ डीलक्स नं0 UP19F9325 व 01 लैपटॉप LENOVO कम्पनी व 01 मोबाइल कीपैड TORC कम्पनी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 456/23 धारा 380/457/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री सुदेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र पूनिया थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.का0 उपदेश चपराणा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.का0 प्रशान्त राणा थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 5.का0 अरुण कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पान्थूपुरा में हुई मारपीट की घटना के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 14.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम पान्थूपुरा में हुई मारपीट की घटना के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.11.2023 को श्रीमती मौसम पत्नी राजेन्द्र निवासी ग्राम पान्थूपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली के साथ बालकरण, सुकलाल पुत्रगण धर्मा, गीता, रवि, बाबू पुत्रगण बालकरण द्वारा घर में घुसकर गाली गलौज कर लाठी डण्डों व धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के संबंध में थाना झिंझाना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

सुखलाल उर्फ सुकलाल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम ताहरपुर मजरा पान्थुपुरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

मु0अ0सं0 457/2023 धारा 147/452/307/323/504/506 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री राहुल कादयान थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.है0का0 मनोज कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.है0का0 मुकेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम इस्लामपुर घसौली में हुई मारपीट की घटना के मामले में वांछित

02 अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 14.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम इस्लामपुर घसौली में हुई मारपीट की घटना के मामले में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.11.2023 को श्री सुभाष पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली की भाभी रूपा का बिलेन्द्र पुत्र सुबा, नवीन पुत्र ओमदास, बिल्लू पुत्र बीरपाल, संजीव पुत्र सुबा निवासीगण उपरोक्त व 02-03 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा रास्ता रोककर गाली गलौज करना व गाली गलौच करने की बजह पूछने पर मेरे व मेरे परिवार के साथ लाठी डण्डों व धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के संबंध में थाना कांधला पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. बिलेन्द्र पुत्र शोभाराम उर्फ शुभा निवासी ग्राम इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।
2. संजीव पुत्र शोभाराम उर्फ शुभा निवासी ग्राम इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजीव उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 131/21 धारा 147/148/149/302/307/34/504 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 481/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 119/2023 धारा 452/323/504/506/307/352 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 570/23 धारा 147/148/323/504/506/307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बिलेन्द्र उपरोक्त:-

- मु0अ0सं0 570/23 धारा 147/148/323/504/506/307 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजकमल थाना कांधला जनपद शामली।
2. है0का0 संजीव कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
3. है0का0 महीपाल थाना कांधला जनपद शामली।



जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 13/14.11.2023 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 03 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.रामकुमार पुत्र पूरण सिंह निवासी काशीराम कालोनी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
- 2.चूचा पुत्र समा निवासी लिलोन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.लोकेश बंसल पुत्र श्री मंगल सैन निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कोतवाली जनपद शामली।